आयोग के कृत्य

अधिनियम की धारा 9 (1) के अनुसार -

(क) पिछड़े वर्गो के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिए गये संरक्षण के लिए हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करना और पिछडे वर्गो के अधिकारों एवं रक्षोपायों से वंचित किए जाने से संबंधित शिकायतों की जांच करना;

(ख) पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिये बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी करें तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में, जो ऐसे कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है, सुधार हेतु सुझाव दें;

(ग) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण के संबंध में सलाह दे;

(घ) पदों पर नियुक्तियों के आरक्षण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तैयार की गई सूचियों में किसी भी नागरिक को पिछड़ा वर्ग के रूप में सम्मिलित करने की प्रार्थनाओं का परीक्षण करना और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग को पात्र न होने पर भी सम्मिलित करने या पात्र होने पर भी सम्मिलित न करने की शिकायतों को सुने और राज्य सरकार को ऐसी सलाह दे जैसी कि वह उचित समझे;

(ड) पिछड़े वर्ग में, सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति या समूह के प्रवर्ग सुनिश्चित करे;

(च) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करें जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौपें जाए;

अधिनियम की धारा 9 (2) के अनुसार राज्य सरकार पिछड़े वर्गो को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।